अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभों से भी संतुष्ट थे। यद्यपि एक तिहाई का यह मत था कि मजदूरी दरों को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वह कम थी।

ख. चिन्ता के क्षेत्र

(i) सर्वेक्षण ने सूचित किया था कि अखिल भारतीय स्तर पर चुनी गई पंचायतों के 3081 अध्यक्ष में से केवल 39% जे आर वाई कार्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण स्तर तक पहुंच सके। यह जे आर वाई कार्यों के लिए ग्राम पंचायतों हेतु निर्धारित किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरुप नहीं है। अतएव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के शीर्षों को और अधिक अभिमुख बनाने की जरूरत है।

(ii) कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा केवल 20% था। मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार 30% रोजगार के अवसर महिलाओं के लिए सुनिश्चत किए जाने चाहिए।

(iii) असम, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी जैसे कतिपय राज्यों में निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार वार्षिक कार्य योजनाओं पर ग्राम सभा की बैठकों में विचार-विमर्श नहीं किया गया । इससे ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली में खामियों का पता चलता है।

(iv) सर्वेक्षण ने ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य को पूरा करने में देरी के विभिन्न कारणों की जांच पड़ताल की। कार्यों के ग्राम पंचायतों द्वारा पूरा न किए जाने का मुख्य कारण "निधियों की कमी" थी। मौटे तौर पर अखिल भारतीय स्तर पर कार्यों में देरी निधियों में कमी की वजह से हुई थी। कुछ राज्यों जैसे गोवा, हरियाणा, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर आदि मौटे तौर पर कार्यों के 80% से शत-प्रतिशत निधियों की कमी के कारण पूरा नहीं कर सके थे।

(v) सामान्य तौर पर ग्राम पंचायतों से उनके द्वारा शुरू किए गए विभिन्नकार्यों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने की आशा की जाती है। यद्यपि, सर्वेक्षण परिणाम ने सूचित किया है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग पर्याप्त नहीं था।

(vi) सर्वेक्षण परिणामों ने पुरुष और महिला अकुशल कामगार का प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी भुगतान में कुछ असमानता को सूचित किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार अकुशल पुरुष या महिला कामगार को प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी भुगतान में कोई असमानता नहीं होनी चाहिए। सर्वेक्षण परिणाम ने दर्शाया है कि कुछ राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु पांडिचेरी में पुरुष और महिला अकुशल कामगार को दिए जाने वाले प्रति श्रम दिवस औसत मजदूरी भुगतान में असमानता थी।

(vii) दिशा निर्देशों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीब लक्ष्यित वर्ग की संरचना करते हैं। यद्यपि सर्वेक्षण परिणाम ने सूचित किया है कि जे आर वाई कार्यों में भाग लेने वाले कुल कामगारों में से मौटे तौर पर 57% की वार्षिक आय 6401/- रुपये अथवा अधिक है और केवल 43% की वार्षिक आय 6400/- रुपये से कम है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जे आर वाई कामगारों का एक बड़ा हिस्सा जो अपात्र श्रेणी से संबंधित है, ने जे आर वाई कार्यक्रम का लाभ उठाया था।

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज

2798. **श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य'**: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद कुल कितने आर्थिक पैकेजों की घोषणा की है;

(ख) क्या यह सच है कि ये आर्थिक पैकेज विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से संबंधित है;

(ग) क्या इन आर्थिक पैकेजों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और क्या कार्यान्वयन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए कोई केन्द्रीय तंत्र गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेजों के ब्यौरों को रेखांकित करते हुए विवरण में संलग्न किया गया है। **(नीचे देखिए)**।

(ख) जी हां,

(ग) और (घ) कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं और आशा है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक ये पूरे हो जाएंगे। इन कार्यक्रमों को, गृह मंत्रालय में उत्तर पूर्व

प्रभाग, जम्मू व कश्मीर मामला विभाग और प्रधान मंत्री कार्यलय में विशेष प्रकोष्ठ द्वारा मानीटर किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज

(i) प्रधान मंत्री ने 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 1996 तक उत्तर पूर्व के सभी सात राज्यों का दौरा किया। दौरों के समापन पर, प्रधान मंत्री ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए कतिपय नए पैकेजों की घोषणा की। नए पैकेजों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

1. सभी केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग अपने बजट का कम से कम 10 प्रतिशत उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेंगे।

2. चालू परियोजनाओं के लिए पूरी वित्त व्यवस्था।

3. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को केन्द्र से शत प्रतिशत अनुदान मिलेगा।

4. रोजगार आश्वासन स्कीम को उत्तर-पूर्वी राज्यों में सभी ब्लाकों तक बढ़ाया जाएगा।

5. उत्तर-पूर्वी राज्यों को उन्नत ऋण प्रवाह।

6. दूर-संचार तथा इलेक्ट्रानिक माध्यम के जरिए उत्तर-पूर्व का पूर्ण कवरेज।

7. उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र के लिए नई औद्योगिक नीति विकसित की जाएगी।

8. एक एकीकृत पर्यटन विकास योजना तैयार की जाएगी।

9. 6100 करोड़ रु० की कुल अनुमानित लागत पर प्रत्येक राज्य के लिए परियोजना पैकेज घोषित किया गया।

(ii) प्रधान मंत्री ने 13-14 फरवरी 1997 को जम्मू व कश्मीर यात्रा के दौरान विकास प्रक्रिया को तेज करने और जम्मू व कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने की दृष्टि से निम्नांकित पैकेजों की घोषणा की।

— राज्य वार्षिक योजना (1996-97) का परिव्यय 1250 करोड़ रु० तक बढ़ाया।

— नौवीं पंचवर्षीय योजना में उपयुक्त परिव्यय व्यवस्था हेतु राज्य सरकार को सक्षम बनाया जाएगा।

— वार्षिक योजना 1997-98 को आगे बढ़ाया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ आवश्यक समर्थन दिया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित योजना परिव्यय अनुमानित है और संसाधनों में गैर-योजना अन्तराल को पाटने के लिए निधियां भी उपलब्ध कराई जाती है।

— केन्द्र सरकार उग्रवाद के कारण क्षतिग्रस्त आधार संरचना के पुनर्स्थापन हेतु अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएगी। नौवीं योजना में ग्रामीण विकास तथा बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 1500 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकारों को क्षतिग्रस्त अवसंरचना की बहाली लागत को इस राशि के नाम डालने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

— राज्य के और अधिक कस्बों को प्रधान मंत्री के एकीकृत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा।

— केन्द्रीय परियोजना से विद्युत आवंटन को 600 मेगावाट से 876 मेगावाट तक बढ़ाया जाएगा ताकि राज्य में विद्युत की कमी को पूरा किया जा सके।

— डल तथा अन्य महत्वपूर्ण झीलों के संरक्षण तथा विकास, घाटी में बाढ़ नियंत्रण हेतु मास्टर प्लान और गंगा कार्य योजना की तरह झेलम के नौवहन तथा पर्यावरणीय पहलुओं में सुधार हेतु कार्य योजना जैसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विदेशी सहायता सहित विशेष वित्त पोषण कार्यविधि विकसित की जाएगी।

— जम्मू व कश्मीर में उर्वरकों के परिवहन को पूर्ण सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

यह प्रधान मंत्री द्वारा 23.07.1996 तथा 2.8.1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रधान मंत्री द्वारा की गई अन्य घोषणाओं के अतिरिक्त है।

Assistance given to North-Eastern States

2799. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the total amount of assistance given by the Central Government for rebuilding the economy of the North-Eastern States;

(b) the State-wise basis of seeking assistance as per their needs; and